SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDUR CODE, 1898

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोडव मिण्ड

प्रकरण कमांक 63 / 18

Name and address of the complain मoप्रo शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन भिण्ड मoप्रo

name, parentage, caste and address of accused-

- 1. अशोक जाटव पुत्र रमेश जाटव उम्र 45 वर्ष
- 2. महोदव जाटव पुत्र बालिकशन जाटव उम्र 28 वर्ष निवासीगण— वार्ड क0 1 पुराना घनश्यामपुरा गोहद जिला भिण्ड

The offence complained of, and date of its alleged commission

आपने दिनांक 28.03.2018 को 15:10 बजे कन्या स्कूल के पीछे खाली प्लॉट घनश्यामपुरा गोहद में ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों कि

The plea of the accused and bis examination [if any]--आरोपी का अभिवाक-

अपराप् र-वेट हैं या र-वोटार ह

3121191

महाऽ

प्रतिब्दा अवस्था प्रतिब्दा अवस्था न्यायिक महिन्द्रह प्रथम श्रेम गोहरू जिला- विषष्ठ (गप

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of theproperty in respect of whitch the offence has been committed

## //निर्णय//

(आज दिनांक 04.05,2018 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढ़कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त / अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धरा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त / अभियुक्त गण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत .100 / 100 / रूपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- 3 अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को पांच-पांच दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 4. प्रकरण में जप्तशुदा एक ताश की गड्डी नष्ट हो। जप्तशुदा रूपये 750/-रुपये राजसात किये जाते है। अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो

5. आरोपी स्वतंत्र हो।'

स्थान- गोहर्व ( दिनांक- 04/05/18

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

पाइ।।ह (शिक्टा अवस्था) कर्ण गाजिएमएफसी गुहिन्द